न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उपवन संरक्षक करौली जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली (राज0)
2. खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग करौली (राज0)
3. मीठालाल बोहरा पुत्र मूलचंद बोहरा जाति ब्राहमण निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट्स

उपस्थित – 1 श्री श्यामप्रकाश गर्ग, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट रेस्पोण्डेण्ट नं. 3
3 श्री हेमराज सैनी, एडवोकेट रेस्पोण्डेण्ट नं. 3
4 श्री शिवकुमार शर्मा, एडवोकेट रेस्पोण्डेण्ट नं. 3

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 28.11.2016 न्यायालय तहसीलदार करौली उनवानी श्री मीठालाल बोहरा बनाम खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग वगै0 मु.नं. 02/2016

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016, जिसके द्वारा नामांतरकरण संख्या 841 दिनांक 17.01.2011 ग्राम गैरई तहसील करौली को खारिज किया गया है, के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का आदेश निर्णय दिनांक 28.11.2016 विधि विरूद्ध, आरवेट्रेरी, रिकार्ड के विपरीत, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट, खिलाफे अपीलाण्ट, दस्तावेजी रिकार्ड के विपरीत है और अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब पेश किया गया था जवाब के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश किये गये थे। अपीलाण्ट ने अपने जवाब में बताया गया था कि राजस्थान सरकार ने राजस्व विभाग की प्रारम्भिक विज्ञप्ति संख्या एफ–7(206) रा.क. 168 दिनांक 12.12.1968 के द्वारा वन खण्ड शेखपुरा मैन व ए की प्रकाशित हुयी जिसमें ग्राम सिंधुपुरा, शेखपुरा, सादपुरा एवं गेरई गांवो के रकबे को सम्मिलित किया गया था उसके पश्चात् समस्त की सुनवाई वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा सुने जाने के बाद वनखण्ड की अंतिम विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नोटिफिकेशन किया गया था। अंतिम विज्ञप्ति के बाद वन भूमि होने के कारण तहसीलदार करौली के द्वारा ग्राम गैरई के खसरा नम्बर 22/1 का नामांतरकरण संख्या 841 दिनांक 17.01.2011 स्वीकार कर अमल राजस्व रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी में राजस्व रिकार्ड में रकबा 113 बीघा

जिला कलक्टर
करौली

151 बिस्वा भूमि वन भूमि दर्ज किया गया था जो अपीलाण्ट के हक में इन्द्राज किया गया था सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 12.12.1966 की पालना में वन भूमि में पडने वाली लीजों को बंद करा दिया गया था। रेस्पोण्डेण्ट मीठालाल बोहरा की लीज को भी बंद कर दिया गया था। नामांतरकरण एक फिसकल व्यवस्था है जो लगान के वास्ते की जाती है। रेस्पोण्डेण्ट मीठालाल द्वारा अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली में पेश कर बताया गया था कि अपीलाण्ट के हक में नामांतरकरण गलत तस्दीक किया गया है। समुचित जांच व नोटिस दिये बगैर नामांतरकरण तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी मीठालाल 06.02.1974 को 20 वर्ष की अवधि के लिये खनिज विभाग करौली द्वारा खनन पट्टा दिया गया है जो रिन्यू होकर 21.12.1994 तक जारी किया गया है जो 406.05 हैक्टर्स के लिये स्वीकृत हुआ जो अभी भी जारी है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 2 खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग करौली द्वारा अपना जवाब पेश कर बताया गया है कि 113 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन पहाड़ को सरकारी वन विभाग के नाम दर्ज करने बाबत इस कार्यालय में कोई सूचना नहीं दी गयी है जबकि नामांतरकरण संख्या 841 दिनांक 17.01.2011 के दिवस सक्षम न्यायालय द्वारा जांच कर समुचित सुनवाई कर अपीलाण्ट के हक में नियमानुसार नामांतरकरण किया गया था। नामांतरकरण एक फिसकल व्यवस्था है जो लगान की व्यवस्था के लिये की गयी है जबकि अमल अपीलाण्ट के हक में राजस्व रिकार्ड में हो चुका है टाईटल अपीलाण्ट के हक में है इसलिये रेस्पोण्डेण्ट मीठालाल संख्या 1 को कोई भी अधिकार खसरा नंबर 22/1 में शेष नहीं रह जाते है। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 मीठालाल द्वारा तहसीलदार करौली के आदेश नामांतरकरण संख्या 841 दिनांक 17.01.2011 की अपील माननीय न्यायालय हाजा में की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार करौली के आदेश नामांतरकरण संख्या 841 दिनांक 17.01.2011 की पुष्टि कर बहाल रखा गया था। उसके बाद रेस्पोण्डेण्ट मीठालाल द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के आदेश से व्यथित होकर द्वितीय अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली को अपने आदेश दिनांक 07.08.2012 में निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट मीठालाल से सम्बन्धित दस्तावेजात एवं माननीय न्यायालयों के निर्णय की प्रतियां व अन्य परिप्रेक्ष्य में विधिवत जांच कर तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें। इस प्रकार संभागीय आयुक्त महोदयजी ने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली ने पत्रावली रिकार्ड से हटकर मनमाने तौर पर निर्णय आदेश दिनांक 28.11.2016 पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली ने रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 के दस्तावेजो को मानने में कानूनी भूल की है और अपीलाण्ट के दस्तावेजो का अपने आदेश/निर्णय दिनांक 28.11.2016 में कोई भी विनिश्चय नहीं किया गया है डिस्कशन नहीं किया गया है जबकि अपीलाण्ट द्वारा अपना जवाब अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया है और जवाब के समर्थन में दस्तावेजात की प्रति की प्रति पेश की गई है। राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति नोटिफिकेशन दिनांक 20.01. 1962 विज्ञप्ति एफ–7 (206) रा.क. 168 दिनांक 12.12.1968 जिसमें अपील के पैरा नं. 1 में दर्ज गांवो की भूमियां अपीलाण्ट के हक में दी गयी थी। दिनांक 12.12.1968 की खसरा बंदोबस्त पेश की गई थी जो अपीलाण्ट के हक में थी ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल का आदेश दिनांक 23.02.2015 जो अपीलाण्ट के हक में था। नक्शा सीट अपीलाण्ट के हक का पेश किया गया था। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 मीठालाल का शपथ पत्र पेश किया गया था। राजस्थान (बंदोबस्त) नियम 1958 ए.स.51, 52 जी.टी. शीट पुरानी वनई का नक्शा सीट आदि दस्तावेजात पेश किये गये थे जो अधीनस्थ

जिला कलक्टर
करौली

न्यायालय द्वारा शामिल पत्रावली किये गये थे। यह सारे समस्त दस्तावेजात अपीलाण्ट के हक में थे जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मामला विवाद का निपटारा ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल द्वारा किया जाना था, वह नोटिफिकेशन राज0सरकार द्वारा किया जा चुका है। वन भूमि से सम्बन्धित कोई विवाद रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 का है जो विवाद सुनवाई का अधिकार ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल को है, सिविल व राजस्व न्यायालयों को नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट दस्तावेजात व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1996 को अनदेखा कर यह निर्णय/आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट भोपाल का आदेश दिनांक 23.02.2015 को नहीं मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील करौली ने खनिज अभियंता के जवाब को सही मानकर कानूनी भूल की है जबकि सारी भूमियों की मालिक सरकार है। लैण्ड होल्डर तहसीलदार ने राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज उक्त खसरा नम्बर 22/1 रकबा 113 बीघा 15 बिस्वा ग्राम गेंरई का अपीलाण्ट के हक में हो चुका था और फिसकल व्यवस्था नहीं होने से खनिज अभियंता को सूचना नहीं बताना गलत दर्ज किया गया है। उक्त भूमि का टाईटल अपीलाण्ट के हक में हो चुका था और फिसकल व्यवस्था नहीं होने से खनिज अभियंता को सूचना नहीं बताना गलत दर्ज किया गया है। उक्त भूमि का टाईटल अपीलाण्ट के हक में है सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पोण्डेण्ट के हक में टाईटल की डिक्री पारित नहीं की गयी है केवल मात्र इस बाबत निषेधाज्ञा जारी की गई है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल नहीं करें। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 मीठालाल को न्यायालय द्वारा मालिक उक्त भूमि का नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 को विधिक प्रक्रिया अपना कर ही काम बंद किया था रेस्पोण्डेण्ट का कार्य चालू नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के आदेश की पूर्णतः पालना कर निर्णय/आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि आदेश संभागीय आयुक्त का यह है कि दस्तावेजात व अन्य साक्ष्य लेकर समुचित सुनवाई का अवसर देकर विधिवत निर्णय पारित किया जावे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई है नाही समुचित सुनवाई का अवसर अपीलाण्ट को दिया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है। यह सभी कानूनी भूल की गयी है। इसलिये मामला पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई को भेजा जाना न्यायोचित व आवश्यक है जिससे सही न्याय निर्णय हो सकें। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी क्योंकि पूर्व में उक्त मुकदमें से सम्बन्धित इन्चार्ज बनवारी लाल गुप्ता क्षेत्रीय वन अधिकारी सपोटरा प्रभारी व उनकी जानकारी में यह प्रकरण था। उनका स्थानांतरण हो गया उसके बाद चार्ज मुझ अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ उसके बाद अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी हुयी तब अपीलाण्ट ने कार्यालय तहसीलदार करौली में जानकारी की तब अपीलाण्ट को दिनांक 28.11.2016 की जानकारी प्राप्त हुयी। अपीलाण्ट दिनांक 17.02.2017 के दिवस कार्यालय तहसीलदार करौली में जाने पर हुयी, तब दिनांक 22.02.2017 के दिवस की नकल प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय व आदेश दिनांक 28.11.2016 के लिये किया गया था नकल तैयार दिनांक 22.03.2017 को प्राप्त हुयी है। इससे पूर्व उक्त आदेश व निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं रही है। उक्त समय अवधि दिनांक 28.11.2016 से 22.02.2017 की अवधि अपीलाण्ट की जानकारी व ज्ञान के अभाव में नहीं होने से शुमार किये जाने योग्य है। दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि–

जिला कलक्टर
करौली

"Limitation Act, 1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filling appeal etc. and public at large

Would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 257, में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि –

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal-"

अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थनापत्र में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.11.16 की जानकारी न होना और उनके स्थगन पर इन्चार्ज बनवारी लाल गुप्ता क्षेत्रीय वन अधिकारी सपोटरा प्रभारी थे। उनको ही प्रकरण की जानकारी थी गलत दर्ज किया है और धारा 5 कानून म्याद अधिनियम के तहत देरी को कन्डोन करने का समुचित कारण नहीं माना जा सकता क्योकि हर कर्मचारी का उत्तरदायित्व है कि वह स्थानान्तरण से पूर्व सभी सरकारी कागजातों को नवीन पदस्थापित अधिकारी को उपलब्ध कराता है । दिनांक 28.11.16 के फैसले की जानकारी तीन महीने बाद एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी को जानकारी हो, कोई समुचित कारण नहीं माना जा सकता। यह तथ्य इसलिए भी गलत है कि दिनांक 14.02.2017 को निर्णय जो अपील अदालत ए.डी.जे. न्यायालय करौली में पेश हो चुका है और कल तक को अपीलान्ट ने जानबूझ कर छिपाया है दिनांक 14.02.2017 से 17.02.2017 तक देरी क्षम्य किये जाने बावत कोई स्पष्टीकरण अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है। ए.डी.जे.करौली की आदेशिका एवं तहसीलदार करौली की आदेशिका प्रमाण में प्रस्तुत की जा रही है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट को दिनांक 28.11.2016 के निर्णय की जानकारी उसी रोज हो गई थी, अपीलांट की लापरवाही दफा 5 की दरख्वास्त से स्पष्ट है कि एक महिने तक अपील पेश न करने का कोई कारण प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है। तहसीलदार करौली की आदेशिका दिनांक 15.11.2016, 21.11.2016 को स्वयं अपीलांट गिर्राज प्रसाद उप० रहे है जिनके आदेशिका में हस्तक्षार है। इस प्रकार सरकारी मुलाजिम होते हुये गलत तथ्यों पर धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किये है और गलत शपथ पत्र पेश करने के कारण अपीलांट के खिलाफ धारा 193 आई.पी.सी. के तहत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है और प्रस्तुत दरख्वास्त माय खर्चा खारिज फरमाई जावे और पेश अपील को प्रारम्भिक तौर पर म्याद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है। म्याद प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि उचित कारणों के साथ प्रत्येक दिन की देरी को क्षमा किये जाने के उचित कारण के साथ पेश किया जाने पर ही कोई रिलीफ दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा मत राजकीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में पारित किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश पर पुनः तहकीकात कर नामान्तकरण को खारिज किया है और संभागीय आयुक्त के आदेश की हर तरह से पालना की है। इसके बावजूद अगर रिमाण्ड आदेश के खिलाफ कोई विरोध करना था तो संभागीय आयुक्त के समक्ष ही पुनः अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। इसलिए यह अपील न्यायालय हाजा में पोषनीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। जब रेस्पोडेण्ट को खनिज विभाग द्वारा वैद्यानिक लीज गैर वन क्षेत्र की

जिला कलक्टर
करौली

दी गई है तो भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण को सही तरह से खारिज किया है और रेस्पोडेण्ट अपने लीज एरिया में ही कार्यरत है। सही बात यह है कि अपीलांट की अनुचित व्यवस्था रेस्पोडेण्ट द्वारा इनकार करने से यह म्याद बाहर अपील रेस्पोडेण्ट पर मानसिक दबाव एवं अनुचित वसूली के लिए पेश की है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(1)(एफ) में अंकित है कि प्रथम अपील to the Director of Land Records from an original order passed by a Land Record Officer in matters connected with land records. अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 न तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब पेश किया।

रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 ने बहस में कथन किया है कि उन्होंने प्रकरण की समुचित रूप से जांच कर, उभय पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पर विचार किया गया। आर. आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि–

"Limitation Act, 1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filling appeal etc. and public at large

Would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर.बी.जे. (4) 1997 पेज 257, में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि –

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal."

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार करौली द्वारा नामांतरकरण को निरस्त करने बाबत् आदेश पारित किया गया है जिसे विवादित नहीं माना जा सकता। अतः इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना विधिसम्मत है जिसका गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित है। प्रकरण में आराजी खसरा नं. 22 रकबा 242 बीघा में से रकबा 113 बीघा 15 विस्वा बीघा भूमि को वन विभाग के नाम दर्ज करने की विज्ञप्ति दिनांक 20.01.1962 को जारी हो चुकी थी। इसके उपरांत दिनांक 12.12.1968 को राजस्थान के राज पत्र में भी उक्त भूमि के वन भूमि होने का प्रकाशन हो चुका था जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हो सका था। राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति में यह स्पष्ट अंकित है कि वन भूमि का किसी भी गैर वनिक कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। खनन विभाग द्वारा रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 को उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा जारी करते समय वन विभाग से किसी प्रकार की अनापत्ति रिपोर्ट लिये जाने संबंधी दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है।

जिला कलक्टर
करौली

इसलिये खनन विभाग द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश जवाब में यह लिखा जाना कि वन विभाग ने उक्त भूमि के वन भूमि होने की सूचना नहीं दी, स्वीकार्य नहीं है। वन विभाग के नाम भूमि होने की राजपत्र में प्रकाशन हो जाने के बाद भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हो पाने की स्थिति में भी वह भूमि वन भूमि ही रहेगी जिसको गैर वनिक कार्य के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता भले ही किसी को भी उस वनभूमि में लीज जारी कर दी गई हो। वन भूमि का सैटलमेण्ट करते समय भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने दिनांक 23.07.1987 को उद्घोषणा जारी कर 3 माह में आपत्तियां मांगी थी लेकिन रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 द्वारा वन बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष विवादित भूमि संबंधी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 12.12.1996 की पालना में राज्य सरकार के आदेश की पालना में उक्त भूमि को वन भूमि मानते हुए खनन कार्य बंद कर देने बाबत् शपथ पत्र खनिज विभाग में पेश किया था। साथ ही यह भी अंकित किया था कि वे उक्त भूमि को वन विभाग को प्रत्यावर्तित कर देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 12.12.1996 की पालना में सभी लीजहोल्डरों द्वारा वन भूमि में आने वाली लीज का प्रत्यावर्तन करवा लिया गया था। प्रत्यावर्तन हेतु रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 द्वारा वापिस ले लिया गया था और अब उक्त भूमि पर लीज प्राप्त करना एवं वन विभाग के नाम दर्ज नामांतरकरण को निरस्त करवाने हेतु प्रयास करना, रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 की बदयान्ति को दर्शाता है। इस सबके बाद खनिज विभाग की जानकारी में यह तथ्य आ गये थे कि प्रकरण में विवादित भूमि, वनभूमि है, फिर भी खनिज विभाग द्वारा लीजहोल्डर की लीज अवधि को अवैधानिक तरीके से बढ़ाया गया। साथ ही वन विभाग द्वारा भी लीजहोल्डर की लीज को निरस्त करवाने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये गये। माननीय उच्च न्यायालय एवं सिविल न्यायालय द्वारा रेस्पोण्डेण्ट नं. 3 को वन भूमि में खनन कार्य करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए राजस्थान राज–पत्र में दिनांक 12.12.1968 को प्रकाशित हुई विज्ञप्ति में अंकित ग्राम गैरई की आराजी खसरा नं. 22/1 रकबा 113 बीघा 15 विस्वा भूमि जो वन भूमि के रूप में विज्ञप्त हो चुकी है, का नामांतरकरण वन विभाग के नाम तस्दीक किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.11.2016 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को उनका अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली